संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्य प्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा. / 2020 / 23 भोपाल दिनांक – 04/05/2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक

मध्य प्रदेश।

विषय – प्रदेश के निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में डायलिसिस सेवाओं की निरंतर प्रदायगी बावत।

संदर्भ – 1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक डीओ नंबर Z – 28015/30/2020- NRHM 1 दिनांक 28 अप्रैल 2020

2. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक /अस्पताल प्रशासन /2020/ 532 दिनांक 15 अप्रैल 2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक द्वारा अवगत कराया गया हैं की वर्तमान में कई प्रदेशों के चिकित्सालयों, विशेषकर निजी चिकित्सालयों में नियमित डायलिसिस सेवाएँ प्रदान नहीं की जा रही है। इसके मुख्य कारणों में शासन द्वारा कुछ निजी चिकित्सालयों का समर्पित कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हांकन अथवा Non – COVID चिकित्सालयों में रोगियों द्वारा COVID – 19 के संक्रामण का भय सम्मिलित है। चूंकि डायलिसिस द्वारा उपचारित रोगियों को डायलिसिस सेवाओं की निरंतर आवश्यकता होती है एवं ऐसा न होने पर रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है अतः ऐसी स्थिति में डायलिसिस सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है।

आपको निर्देशित किया जाता है की इस संबंध में निम्न आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें –

1. यह सुनिश्चित किया जाए की आपके अधीनस्थ निजी एवं शासकीय चिकित्सालय जो COVID संबन्धित सेवाएँ देने के लिए चिह्नित नहीं है, ऐसे समस्त निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में डायलिसिस सेवाएँ सुचारु रूप से संचालित हो एवं रोगियों को सुगमता से उपलब्ध हों।
2. यदि कोई शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय COVID संबन्धित सेवाएँ प्रदान करने हेतु शासन द्वारा अनुबंधित किया गया हो, इस स्थिति में Non-COVID रोगियों के लिए समीपस्थ चिकित्सालय जहां डायलिसिस सेवाएँ उपलब्ध हो को चिह्नित किया जाएँ। ऐसे केन्द्रो तक डायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता एवं रोगियों के आवागमन हेतु स्थानीय स्तर पर Not for Profit / निजी संगठनो की सहायता ली जा सकती है।
3. कुछ COVID-19 संक्रमित रोगियों को भी डायलिसिस सेवाओं की आवश्यकता पढ़ सकती है। ऐसे रोगियों को समर्पित COVID-19 चिकित्सालयों में संचालित डायलिसिस केंद्र में सेवाएँ प्रदान की जाएँ।
4. जिला मुख्यालय पर स्थित Call-Center पर डायलिसिस केन्द्रो के बंद होने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक /अस्पताल प्रशासन /2020/ 532 दिनांक 15 अप्रैल 2020 के अनुसार COVID-19 रोगियों को डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(संलग्न – संदर्भित पत्र)

(फ़ैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा. / 2020 / 24 भोपाल दिनांक – 04/05/2020

प्रतिलिपि – सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल मध्य प्रदेश।
2. मिशन संचालक , राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश।
3. क्षेत्रीय संचालक समस्त संभाग , मध्य प्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर , मध्य प्रदेश।

आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhavan, New Delhi - 110011

क्र. 59 /अमुस./ ... आवक दिनांक ... जावक दिनांक 30.04.2020

वन्दना गुरनानी, भा.प्र.से.
Vandana Gurnani, I.A.S.
अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (रा.स्वा.मि.)
Additional Secretary & Mission Director (NHM)

Dear Colleagues,

D.O No.Z-28015/30/2020-NRHM-1
Date: 28th April, 2020

Please refer to my D.O. letter dated 10th April, 2020, regarding need to facilitate access of patients requiring dialysis to the concerned health facilities. Subsequently, a Guidance Note on Enabling Delivery of Essential Health Services during COVID-19 outbreak has also been prepared and placed on the website of the Ministry(https://www.mohfw.gov.in/pdf/EssentialservicesduringCOVID19updated0411201.pdf). This guidance note seeks to ensure that while focusing on COVID 19 related activities, essential health services are continued in order to maintain people's trust in the health system and to deliver essential health services. The note inter alia provides that health facilities /blocks of such health facilities which are not designated for providing COVID-19 related services will continue to provide essential non- COVID-19 services. It further provides that States could also involve not-for-profit / private sector in provision of non-COVID essential services, particularly for secondary and tertiary care, where public sector capacity needs to be supplemented. States could develop a phased engagement with not-for-profit and private sector if existing public health facilities are converted into fever clinics / COVID Care Centres / dedicated COVID Health Centres or Dedicated COVID Hospitals. With regard to dialysis and cancer treatment services, the guidance note specifically provides that States/UTs should ensure uninterrupted availability of these services.

30 APR 2020
Health Comm.

DD(HA)
Please examine & put up a comprehensive report
4/5

Contd...P/2

स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत
Tel.: 011-23063... Telefax : 011-23061398 E-mail : vandana.g@ias.nic.in

48MP AI QUAD CAMERA
Shot by Food&Walls
2020/05/04 15:40
Scanned with CamScanner

D.O No.Z-28015/30/2020-NRHM-1
Date: 28th April 2020

2. In this regard, I would like to draw your attention to certain reports received in this Ministry about many dialysis centres, especially those in the private sector, having stopped providing routine dialysis services to their regular patients either on account of the hospital being requisitioned by the State/UT Govt. as standalone COVID-19 treatment centre or hesitation in such centres to undertake dialysis for the fear of contracting COVID-19. You will appreciate that for patients on dialysis regular dialysis is critical for saving their lives and it cannot be postponed. Therefore, it needs to be ensured that all the existing dialysis centres continue to be functional and provide dialysis services.

3. Accordingly, I would request you to please ensure the following:

i. The dialysis centres in all the health facilities, public or private, which are not designated for providing COVID related services should continue to function in an uninterrupted manner so that the patients availing dialysis services from these Centres do no face any hardship.

ii. If any public or private health facility is designated for providing COVID related services exclusively and has started admitting COVID cases, all the patients availing dialysis service from such facilities should be mapped to the nearest functional dialysis centre as an alternate, and the State Government should facilitate transport of such patients to the alternate centre. States/UTs should also involve not-for-profit / private sector in provision of dialysis services, where public sector capacity needs to be supplemented.

iii. Sates/UTs may also hire nephrologists on contract, if need be, to provide uninterrupted dialysis services in public dialysis facilities.

iv. Many of the COVID 19 patients may also be on regular dialysis. Such patients should be admitted at dedicated COVID- 19 treatment at facilities with functional dialysis centres.

v. Helplines set up by the States/UTs should receive grievances regarding closure of dialysis centres or denial of services, and ensure its quick resolution. The Helpline staff should be trained to respond to queries pertaining to dialysis services and also have complete database of facilities where patients can be sent for dialysis.

Contd...P/3

48MP AI QUAD CAMERA
Shot by Food&Trails
2020/05/04 15:40
Scanned with CamScanner

D.O No.Z-28015/30/2020-NRHM-1
Date: 28th April 2020

4. All States/UTs are requested to take immediate necessary action on the above. Detailed guidelines for Dialysis of COVID 19 patients are available of the website of MoHFW(https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedGuidelinesforDialysisofCOVID19Patients.pdf).

with warm regards

Yours sincerely,

(Vandana Gurnani)

ACS / PS / Secretary (Health &/or Medical Education) - All States/UTs

Copy to:

i) Mission Director (NHM) - All States/UTs
ii) Director Medical Education - All States/UTs

48MP AI QUAD CAMERA
Shot by Food&Trails
2020/05/04 15:40
Scanned with CamScanner

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्य प्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा. / 2020 / 532 भोपाल दिनांक – 15 /04/2020

प्रति,

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक

मध्य प्रदेश।

विषय – COVID- 19 संक्रमण के संभावित जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए संलग्न मार्गदर्शिका अनुसार डायलिसिस सेवाओं के संचालन के संबंध में।

प्रदेश में COVID-19 के संभावित संक्रमण के दृष्टिगत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक अप्रैल 2020 को जारीदिशानिर्देशों के अनुरूप डायलिसिस सेवाओं के संचालन हेतु मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सेवाओं का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें

(आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

(डॉ ऋतेश तँवर)

राज्य उपसंचालक

अस्पताल प्रशासन

(लोजिस्टिक्स COVID-19 नियंत्रण कक्ष)

क्रमांक/अस्प.प्रशा. / 2020 / 533 भोपाल दिनांक – 15 /04/2020

प्रतिलिपि – सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल मध्य प्रदेश
2. आयुक्त स्वास्थ्य , संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल मध्य प्रदेश
3. समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाओं की और सूचनार्थ

राज्य उपसंचालक

अस्पताल प्रशासन

(लोजिस्टिक्स COVID-19 नियंत्रण कक्ष)

हीमोडायलिसिस केन्द्रो में COVID- 19 रोग से संक्रमित मरीजों की डायलिसिस हेतु संशोधित दिशानिर्देश

इन दिशानिर्देशों का उपयोग शासन द्वारा जारी संक्रमण नियंत्रण एवं रोकथाम दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएँ। यह दिशानिर्देश कोरोना वाइरस रोग (COVID-19) के संदिग्ध अथवा पॉज़िटिव मरीजों को हीमोडायलिसिस सेवाएँ प्रदान कराते समय संभावित संक्रमण के जोखिम के नियंत्रण हेतु जारी की गईं हैं। उपरोक्त दिशानिर्देश COVID-19 वाइरस के संबंध मे वर्तमान में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। COVID-19 के संबंध में भविष्य में जानकारी अद्यतन होने की स्थिति मे इन दिशानिर्देशों को समय समय पर परिष्कृत किया जावेगा। डायलिसिस केंद्र से संबन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियो को अपने क्षेत्र में COVID-19 के सामुदायिक संचरण के विषय मे समय समय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन से जानकारी प्राप्त करनी होगी।

ऐसे रोगी जिनको नियमित डायलिसिस की आवश्यकता होती हैं ऐसे सभी मरीजों को किसी भी परिस्थिति में अपना निर्धारित डायलिसिस सत्र नहीं चुकना चाहिए।

डायलिसिस यूनिट के लिए सामान्य मार्गदर्शन -

1. डायलायसेट, डायलाइजर और ट्यूबिंग, कैथेटर, फिस्टुला नीडिल डिसिन्फेक्टन्ट एवं औषधियों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करें।

2. डायलिसिस यूनिट एवं प्रतीक्षा कक्ष में स्थानीय भाषा , हिन्दी एवं इंग्लिश में एक साइन पोस्ट लगावे जिसमे मरीजों को बुखार, खांसी एवं सांस लेने में समस्या होने की जानकारी स्वास्थ्य प्रदाता को तुरंत देने के निर्देश हों।

3. डायलिसिस इकाइयों में पदस्थ नेफ्रोलॉजिस्ट, चिकित्सा अधिकारी , स्टाफ नर्स हाउस कीपिंग स्टाफ समेत समस्त कर्मचारियों को COVID-19 के बारे में प्रशिक्षण दें।

4. सभी सार्वभौमिक सावधानियों (Universal Precautions) का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

5. मरीजों की देखभाल करने से पूर्व एवं एक रोगी से दूसरे रोगी पर शिफ्ट होने से पूर्व सभी कर्मचारियों को हैन्ड हाएजीन का सख्ती से पालन करते हुए कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन या पानी से धोना चाहिए। यदि साबुन या पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल (60%) बेस्ड हैन्ड रब से हाथों को प्रक्षालित (Sanitize) करना हैं। यदि हाँथ दृष्टिगत रूप से अत्यंत गंदे हों तो पहले साबुन एवं पानी से धोकर फिर अल्कोहल (60%) बेस्ड हैन्ड रब का इस्तमल करें। हाथों से आँख, नाक , एवं मुहँ को छूने से बचें।

6. संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सा और सहायक कर्मचारियों पर COVID-19 संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जावे।

7. डायलिसिस यूनिट में कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट में इस प्रकार लगाना सुनिश्चित करें जिससे डायलिसिस यूनिट का काम प्रभावित ना हों।

8. समस्त डायलिसिस यूनिट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मध्य प्रदेश एवं जिलें के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुसंशित परीक्षण, ट्रायेज एवं रोग की अधिसूचना नीति के संबंध में पूर्ण जानकारी हो।

9. डायलिसिस यूनिट के कर्मचारीयों को , COVID-19 पॉजिटिव मरीजों के डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) को पहनाने (Donning) एवं उतारने (Doffing) के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करें।

10.सभी कर्मचारियों को खांसी शिष्टाचार, हाथ की स्वच्छता और मास्क, गाउन एवं आंखों के चश्मे के उचित उपयोग और निस्तारण के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

11.ऐसे रोगी जो डायलिसिस पर हो एवं COVID-19 के संक्रमण के संदिग्ध हो ऐसे मरीजों का शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल अनुसार RT-PCR द्वारा जांच की जाए।

डायलिसिस यूनिट में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता हेतु दिशानिर्देश –

डायलिसिस यूनिट में आने के पूर्व –

- पंजीकृत मरीजों को निर्देश दें की वो COVID-19 संक्रमण के शुरुवाती लक्षणों जैसे हाल ही में आने वाला बुखार, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में तकलीफ की स्वयं पहचान करें एवं डायलिसिस सेंटर में आने से पूर्व यहाँ पदस्थ स्टाफ को इसकी सूचना दें
- ऐसे रोगी जिनकी स्थिति स्थिर (stable) हैं उन्हें डायलिसिस सेंटर में अपने साथ किसी परिजन को ना लाने हेतु प्रोत्साहित करें।

प्रतीक्षा कक्ष या स्क्रीनिंग एरिया –

- डायलिसिस यूनिट में एक निर्दिष्ट स्क्रीनिंग क्षेत्र होना चाहिए, जहां मरीजों को डायलिसिस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले COVID-19 के लिए प्रारम्भिक जांच की जा सकती है। जहां यह संभव नहीं है, मरीज तब तक डायलिसिस यूनिट से दूर रह सकते हैं जब तक उन्हें यूनिट स्टाफ से विशिष्ट निर्देश नहीं मिलते।
- स्क्रीनिंग क्षेत्र में डायलिसिस कर्मचारियों की प्रतीक्षा के दौरान मरीजों और साथ के लोगों के बीच सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। स्क्रीनिंग क्षेत्र में, हर मरीज से निम्नलिखित जानकारी लें –
    - COVID-19 के संभावित लक्षण
    - COVID-19 के पाज़िटिव केस के साथ संपर्क की जानकारी
    - ऐसे व्यक्ति से संपर्क का इतिहास जिसने हाल ही में कोई विदेश यात्रा की हो या किसी ऐसे स्थान पर यात्रा की हो जो केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा

COVID-19 संक्रमण के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की गई हों।

- श्वसन संक्रमण के लक्षणों वाले मरीजों को स्क्रीनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले और डायलिसिस यूनिट छोड़ने तक मास्क पहनना अनिवार्य हैं। यह सुनिश्चित कर लें की डायलिसिस सेंटर में मरीज एवं उसके साथ आने वाले परिजनों के लिए पर्याप्त मात्र में मास्क उपलब्ध हों।

यूनिट में डायलिसिस सत्र के दौरान –

- डायलिसिस अवधि के दौरान COVID-19 के संदिग्ध या पाज़िटिव मरीजों को थ्री लैअर सर्जिकल मास्क का उपयुक्त तरीके से उपयोग करना हैं।
- मरीजों को कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन या पानी से धोना चाहिए। यदि साबुन या पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल (60%) बेस्ड हैन्ड रब से हाथों को प्रक्षालित (Sanitize) करना हैं।

डायलिसिस यूनिट में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता हेतु दिशानिर्देश –

प्रतीक्षा कक्ष या स्क्रीनिंग एरिया –

- यूनिट स्टाफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्क्रीनिंग क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइज़र उपलब्ध हैं एवं जिन्हें मरीजों को और यदि आवश्यक हो तो रोगी के साथ आए व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके।

यूनिट में डायलिसिस सत्र के दौरान –

- यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है की सेंटर में कोई भी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता या रोगी संक्रमण का ज्ञात स्त्रोत ना हो।
- प्रत्येक डायलिसिस बेड के समीप हाथों की स्वच्छता, खांसी या श्वसन शिष्टाचार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अल्कोहल बेस्ड हैन्ड सैनिटाइज़र, डिस्पोज़बल टिशू पेपर एवं डस्ट बिन उपलब्ध होना चाहिए।
- सेंटर के अंदर रोगी, रोगी के साथ आए व्यक्ति (attendant)एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता सभी के लिए थ्री लैअर सर्जिकल मास्क पहनना अनिवार्य हैं।

- COVID-19 के संभावित या पाज़िटिव मरीज का डायलिसिस सत्र आदर्श रूप से आइसोलेशन में किया जाना चाहिए। ऐसे मरीजों का डायलिसिस एक पृथक कक्ष में जिसका दरवाजा बंद किया जा सके के अंदर किया जाना चाहिए, परंतु सभी डायलिसिस सेंटरस में इस हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो सकता हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे संभावित या पाज़िटिव मरीजों का डायलिसिस सत्र दिन की अंतिम शिफ्ट में किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था से दो शिफ्ट के बीच में किए जाने वाले अतरिक्त एवं व्यापक कीटाणुशोधन में लगने वाले समय का बचाव किया जा सकेगा। अगर ऐसा करना भी संभव ना हो तो COVID-19 के संभावित या पाज़िटिव मरीज एवं अन्य मरीजों के बेड के मध्य न्यूनतम 2 मीटर की दूरी होना आवश्यक हैं।
- COVID-19 के संभावित या पाज़िटिव मरीजों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को उसी शिफ्ट में अन्य डायलिसिस मरीजों की देखभाल नहीं करनी चाहिए।
- COVID-19 के पाज़िटिव मरीजों की डायलिसिस करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता को समस्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment) पहनना आवश्यक हैं। आइसोलेशन गाउन को अन्य गाउन जैसे लैब ऐप्रन , अथवा कोट के स्थान पर प्राथमिकता देवें। अतरिक्त सुरक्षा के लिए प्लास्टिक ऐप्रन का उपयोग किया जा सकता है परंतु इसे PPE किट के साथ पहना जावे
- मरीजों के लिए उपयोग में आने वाले स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर एवं बीपी कफ आदि को शिफ्ट की समाप्ति के पश्चात विसंक्रमित किया जावें।
- स्टेथोस्कोप डायफ्राम और ट्यूबिंग को अल्कोहल-बेस्ड कीटाणुनाशक जैसे हैन्ड रब से साफ किया जाना चाहिए। अधिकांशतः स्फिग्मोमैनोमीटर कफ रेक्सिन से बने हैं इन्हे भी अल्कोहल-बेस्ड कीटाणुनाशक जैसे हैन्ड रब या अधिमानतः हाइपोक्लोराइट आधारित (1% सोडियम हाइपोक्लोराइट) सोल्यूशन द्वारा साफ किए जाना चाहिए।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment) / PPE Kit का उपयोग करने वाले कर्मचारी निम्नलिखित सावधानी रखें –
    - पीपीई का उपयोग करते समय, वे वॉश रूम का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए तदनुसार तैयार रहें।
    - आई शील्ड पहनने के बाद, नमी कुछ समय बाद दिखाई देती है और दृश्यता में कमी आ सकती हैं अतः रोगी के स्थानांतरण से पूर्व गैर-संक्रमित क्षेत्र में मशीन की तैयारी की जा सकती है।

- यदि अस्पताल में बेड-साइड डायलिसिस किया जाना है, तो पोर्टेबल आरओ अधिमानतः हाइपोक्लोराइट आधारित (1% सोडियम हाइपोक्लोराइट) सोल्यूशन से अच्छी तरह से विसंक्रमित किया जावे।

डायलिसिस यूनिट में विसंक्रमण एवं निस्तारण की प्रक्रिया –

- प्रत्येक शिफ्ट्स के बीच बेड लिनन को बदला जाना चाहिए और डायलिसिस स्टेशन छोड़ने से पहले लिनन और गाउन को लिनन के लिए निर्धारित कंटेनर में रखा जाना चाहिए।
- उपयोग के बाद डिस्पोजेबल गाउन को त्याग दिया जाना चाहिए। कपड़े के गाउन को पहले 20 मिनट के लिए 1% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन में भिगोया जाना चाहिए और फिर प्रत्येक उपयोग के बाद लॉन्ड्रिंग के लिए ले जाया जाना चाहिए।
- डायलिसिस यूनिट के अंदर,सतहों को रोजाना कम से कम तीन बार और हर शिफ्ट के बाद छुआ जाता है। इसमें बेडसाइड टेबल और लॉकर, डायलिसिस मशीन, डोर नॉब, लाइट स्विच, काउंटर टॉप, हैंडल, डेस्क, फोन, कीबोर्ड, शौचालय, नल और सिंक आदि शामिल हैं। निर्माता कंपनी के निर्देशों के अनुसार सतहों के कीटाणुशोधन के लिए हाइपोक्लोराइट, अल्कोहल , फॉर्मल्दिहाइड या ग्लुटरेलदिहाइड से साफ और कीटाणुरहित किया जाए। लगभग सभी सामान्य कीटाणुनाशक सोल्यूशन सतहों पर वायरस को मारने में प्रभावी हैं।
- सतहों को साफ और कीटाणुरहित करने के लिए unsterile लेकिन साफ डिस्पोजेबल दस्ताने पहनें। प्रत्येक सफाई के बाद दस्ताने को त्याग दिया जाना चाहिए। यदि पुन: प्रयोज्य(reusable) दस्ताने का उपयोग किया जाता है, तो उन दस्ताने से केवल COVID-19 संक्रमित सतहों की सफाई और कीटाणुशोधन के लिए किया जाना चाहियें एवं इसका उपयोग अन्य स्थानों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दस्ताने उतारने के तुरंत बाद उपयुक्त विधि से हाथ साफ करें।
- सूक्ष्म छिद्र युक्त (porus)सतहों जैसे कि कालीन, गलीचे और पर्दे, आदि के लिए उपयुक्त क्लीनर से साफ करें एवं साफ करने के पश्चात निर्माता कंपनी के निर्देशानुसार धुलाई करवाएं। यदि संभव हो, धुलाई के लिए सबसे गरम पानी का उपयोग करें एवं धूप में अच्छी तरह सुखाएं
- यदि किसी मरीज के गंदे कपड़ों को निस्तारित करने के लिए स्पर्श करने की आवश्यकता हो तो डिस्पोजेबल दस्ताने पहनें और उपयोग के पश्चात इन्हें त्याग दें। गंदे कपड़ों को ज्यादा ना हिलाएं ताकि यह हवा के माध्यम से वायरस के फैलने की संभावना को कम करे।
- ऊपर दिए मार्गदर्शन अनुसार कपड़े की बाल्टी या ड्रम को साफ एवं कीटाणुरहित करें। यदि संभव हो, तो एक बैग लाइनर रखने पर विचार करें जो या तो डिस्पोजेबल है या धोने योग्य हों ।

एक्यूट किड्नी इन्जूरी वाले COVID-19 मरीजों का डायलिसिस

COVID- 19 मरीजों के लगभग (~ 5%) मरीजों में एक्यूट किड्नी इन्जूरी की संभावना होती हैं। यह दशा आमतौर पर कम जटिल होती है लेकिन कुछ मरीजों में RRT (रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी) की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, जटिल केसों में सेकन्डेरी बैक्टीरियल संक्रमण वाले मरीजों में भी सेप्टिक शॉक, ड्रग नेफ्रोटॉक्सिसिटी या मौजूदा क्रोनिक किड्नी डिसिजेस की स्थिति बिगड़ने से आरआरटी (रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी) की आवश्यकता होती है।

अतः आरआरटी के सभी प्रकारों का उपयोग AKI (एक्यूट किड्नी इन्जूरी) वाले मरीजों के लिए उनकी नैदानिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है।

AKI (एक्यूट किड्नी इन्जूरी) वाले COVID-19 रोगी का डायलिसिस , डायलिसिस यूनिट में मरीज को शिफ्ट करने के स्थान पर अधिमानतः बेड साइड डायलिसिस दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में टैंक में पोर्टेबल रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से शुद्ध पानी का टैंक डायलिसिस के उद्देश्य को पूरा करेगा। यदि भविष्य में डायलिसिस की और भी आवश्यकता पड़ने की संभावना हो तो डायलिसिस मशीन को भविष्य के डायलिसिस के लिए उसी क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है।

आदर्श रूप से, यह प्रक्रिया आदर्श रूप से COVID - 19 समर्पित अस्पताल / वार्ड में होनी चाहिए।

पेरिटोनियल डायलिसिस -

1. सीएपीडी (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) पर पूर्व से उपचारित मरीज -

- जिन मरीजों को पहले से ही पेरिटोनियल डायलिसिस (पीडी) उपचार मिल रहा है, ऐसे मरीज तुलनात्मक रूप से सुरक्षित हैं क्यूंकी वे अस्पताल के वातावरण के संपर्क में नहीं आएंगे एवं इससे उनके संक्रमण की संभावना कम हो जाएगी हालांकि, इन्हें डायलिसिस हेतु आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति के लिए विशेष वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए।
- प्रयुक्त डायलिसिस बैग और टयूबिंग को पहले 1% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन का उपयोग करके ठीक से निस्तारित (Dispose) किया जाना चाहिए और एक मोहरबंद बैग में निपटाया जाना चाहिए। प्रयुक्त डायलिसिस द्रव को फ्लश डिसपोस किया जाना चाहिए।

2. सीएपीडी (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) के लिए नए रोगी की योजना -

नए मरीजों हेतु सीएपीडी (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) को शुरू करना, पीडी कैथेटर लगाने वाले स्वास्थ्य प्रदायकर्ता की कमी एवं प्रशिक्षण की कमी की वजह से मुश्किल होगा। इसलिए, जब तक संसाधन पर्याप्त ना हो तब तक मरीज को सीएपीडी शुरू नहीं करना चाहिए।

3. एक्यूट पीडी (Acute Peritoneal Dialysis)

एक्यूट पीडी (Acute Peritoneal Dialysis) जीवन रक्षक है एवं ऐसे स्थान जहां हीमो डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध ना हो वहाँ एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस का उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए।

कार्यकर्ता एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस की शुरुआत करते समय सभी सावधानियों का उपयोग करें और उपयोग किए गए सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करें

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) -

COVID-19 पाज़िटिव मरीजों की डायलिसिस करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) का उपयोग किया जाना चाहिए-

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) निम्नानुसार हैं –

1. जूते का कवर
2. गाउन
3. सर्जिकल कैप या हुड
4. काले चश्मे या eye shield
5. N 95 मास्क: आदर्श रूप से सभी मास्क N95 होने चाहिए। हालांकि, इनकी अवधि लगभग 6-8 घंटे की हैं और इन्हें लंबे समय पहनना असहज हो सकता हैं तथा इनकी आपूर्ति भी कम हैं अतः इन्हें एयरोसोल उत्पादन प्रक्रियाओं जैसे intubation , ओपन सक्शन और ब्रोन्कोस्कोपी आदि के समय उपयोग के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6. सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग अन्य सभी प्रक्रियाओं के लिए विकल्प के रूप में किया जा सकता है।
7. Gloves सर्जिकल दस्ताने।

8. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) को पहनने (donning) एवं उतारने (doffing) की सही विधि के लिए YouTube पर विडिओ इस लिंक - https://youtu.be/NrKo2vWJ8m8 पर देखा जा सकता हैं।